

कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद-देवरिया।

पत्र सं० मेमो /11 न०पा० (2011-12)

दिनांक : 16.07.2011

अल्पकालिक निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से नगरपालिका सीमान्तर्गत 25 वार्डों में एल. टी. लाईन विस्तार कार्य कराये जाने हेतु दिनांक 08.08.2011 को अपराहन 2 बजे तक मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपराह् 4 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में सक्षम अधिकारी द्वारा खोला जायेगा। निर्माण कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिषद गौरा बरहज कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 06.08.2011 तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ अग्रिम जमा जमानत धनराशि के रूप में नगद जमा रसीद/एन०एस०सी०/किसान विकास पत्र/एफ०डी०आर० आदि जो अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के पदनाम बन्धक हो मूल रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य होगा, जमानत धनराशि की छायाप्रति मान्य नहीं होगी। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालय समय एवं दिवस में कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज से की जा सकती है। निविदा प्रपत्र पालिका के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय की जायेगी।

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दें। ठेका स्वीकृत के पश्चात आवश्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। वेबसाइट www.deoria.nic.in पर उपलब्ध होगा।

कार्य का विवरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा मुल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1-	25 वार्डों में एल.टी. लाईन विस्तार (विद्युतीकरण) कार्य।	1266000-00	आगणन की धनराशि का	500-00	31.10.2011
	<u>अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित-</u>				
2-	25 वार्डों में एल.टी. लाईन विस्तार (विद्युतीकरण) कार्य।	422000-00	आगणन की धनराशि का	150-00	31.10.2011

नोट:- रेट प्रतिशत बेसिस पर भरना अनिवार्य है।

(एस० के० शर्मा)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया।

(विरेन्द्र कुमार गुप्त)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया।

पत्र संख्या /11 न०पा० (2011-12) तद्दिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, देवरिया।
2. कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. जिलाधिकारी देवरिया के वेबसाइट www.deoria.nic.in पर प्रकाशित।
4. सम्पादन दैनिक समाचार पत्र 'स्वतंत्र भारत' एवं 'एकता हमारी प्राचीन परम्परा है' को इस आशय से प्रेषित कि अपने आगामी अंक में निविदा सूचना का प्रकाशन कर बिल भुगतान हेतु पाँच प्रतियों सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

(एस० के० शर्मा)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया।

(विरेन्द्र कुमार गुप्त)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया।